न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 394/2017/225 आरटीए

1. कर्मचन्द पुत्र फुमणसिंह जाति बावरी निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. दरबारासिंह पुत्र रामसिंह जाति बावरी निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अपीलान्टस

–: बनाम :–

1. कृष्णसिंह पुत्र संतासिंह जाति बावरी निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. गुरदीपसिंह पुत्र संतासिंह जाति बावरी निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. समुन्द्रबाई पुत्री संतासिंह जाति बावरी निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. सीतोबाई पुत्री संतासिंह जाति बावरी निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. मीरा बाई पुत्री संतासिंह जाति बावरी निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–– असल रेस्पो0

7. रजो पुत्री फुमणसिंह जाति बावरी निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 25.10.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर टिब्बी
प्र0सं0 52/2011 अनवानी कर्मचन्द आदि बनाम कृष्णसिंह आदि

उपस्थित :–
श्री प्रद्युम्नसिंह परमार अधिवक्ता अपीलाण्टस
श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 6

निर्णय दिनांक –17.05.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत कर चक 1 एनजीआर प.न. 186/218 कि.न. 17, 18, 22 ता 24, प.न. 186/219 कि.न. 2, 3, 9 चक 10 एमकेएसए प.न. 183/222 कि.न. 8, 9, 12, 13 व चक 2 एनजीआर जमाबंदी सम्वत 2065–68 खाता सं. 105 मे दर्ज 1.771 है0 भूमि जो बतौर कलैमेंट परिवार के सदस्यो को पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटित हुई थी जिसमे 1/3 हिस्सा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा है, के संबंध मे प्रार्थीगण/अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 की कब्जा काश्त की आराजी मे अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी करवाने हेतु अनुतोष चाहा गया कि प्रार्थीगण कब्जा काश्त की आराजी मे अप्रार्थीगण मदाखलत बैजा करने व उन्हे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बेदखल करने से ममनू व बाज रहे। जिसमे अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र अपीलांट खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में लिखित बहस मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस ने यह कथन किया था कि संतासिंह ने चक 1 एनजीआर व 2 एनजीआर की उक्त आराजी अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे मिलीभगत कर अपने नाम से दर्ज करवा ली तथा चक 10 एमकेएस ए की उक्त 4 बीघा भूमि अपीलांट के पिता फुमणसिंह पुत्र बुटासिंह के नाम दर्ज करवाई। इस बाबत प्रार्थीगण ने जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर के यहां कार्यवाही की जो दिनांक 08.08.1994 तक चली व पत्रावली जिला बदलने के कारण बाद मे कोई कार्यवाही नही हुई। उक्त आराजी जद्दी जायदाद है जिसमे अपीलांट का जन्म से हक व हिस्सा है। प्रार्थीगण उक्त आराजी मे 3/4 हिस्सा पर बहिब पर काबिज है, मौका फसल काश्त है। अपीलांटस के भाई संतासिंह ने राजस्व अधिकारियों से सांठ गांठ कर अपने पिता फुमणसिंह का नाम पर्चा खतौनी से कटवाकर अपना दर्ज करवा लिया जबकि उक्त आराजी बतौर क्लेमेंट परिवार के सदस्यों को पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटित की गई थी। संतासिंह द्वारा अपने पिता के नाम को कटवाकर अपना नाम अंकित करवाने से उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होते है बल्कि अपीलांट व फुमणसिंह के अन्य वारिसान समस्त कृषि भूमि के बहिस्सा बराबर के हिस्सेदार है और उसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो अपास्त योग्य है। अपीलांट ने जिला पुनर्वास अधिकारी की पत्रावली की नकल प्राप्त कर न्यायालय मे प्रस्तुत की थी जिसमे अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार निर्णय पारित नही हुआ है ऐसी स्थिति मे दरकिनार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिले निरस्ती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस का प्रथम दृष्टयां मामला साबित नही होना मानकर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने यह भी निवेदन किया था कि आराजी की समस्त किश्ते फुमणसिंह व उसके परिवार द्वारा संयुक्त आय से जमा करवाई गई है, ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल संतासिंह द्वारा किश्त जमा करवाने का अंकन कर कानूनी व वाक्याति त्रुटि की है, क्योंकि उक्त समस्त भूमि पर अपीलांटस का कब्जा है, जिसे अपीलांटस काबिज होकर काश्त कर रहे है। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांटस को यह धमकी दी जा रही है कि वे राजस्व रिकार्ड मे अपने पिता के नाम का लाभ उठाकर उक्त कृषि भूमि को अन्य

Web Copy - Not Official

व्यक्तियों को रहन, बैय व अन्तरित करेगें और अपीलांटस के कब्जा काश्त मे भी दखलअंदाजी करेंगें ऐसी स्थिति मे अपीलांटस के हको को सुरक्षित किया जाना आवश्यक है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी स्थिति व तथ्यों पर गौर नही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जावे व अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध रेस्पो0 सं. 1 ता 5 इस आशय की जारी की जावे कि प्रश्नगत आराजी के संबंध मे मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 ने अपनी बहस में जवाब लिखित बहस मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील मे वर्णित भूमि रेस्पो0 सं. 1 के वारिसों के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिसमे फुमणसिंह को उक्त आराजी का आवंटन हुआ हो तथा उक्त भूमि की किश्तो की राशि भी अप्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा खजानाराज मे जमा करवाई गई है। वादग्रस्त भूमि कस्टोडियन भूमि है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के द्वारा शासित नही होने के कारण अपील हाजा व प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण काबिले खारिज है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण/रेस्पो0 के पक्ष मे है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दिनांक 25.10.17 को खारिज करने मे कोई विधिक त्रुटि कारित नही की है। किशनसिंह, ठाकरसिह, करतारसिंह व संतासिंह को आवंटन अलग अलग हुआ है तथा फुमणसिंह को आवंटन हुआ था उस समय कर्मचन्द रामसिंह का जन्म भी नही हुआ था। फुमणसिंह को चक 10 एमकेएस की 1.012 है0 आराजी आवंटित हुई थी उसमे भी रेस्पो0 का 1/4 हक हिस्सा बनता है। अपील हाजा मे वर्णित भूमि संतासिंह को ही आवंटित हुई है तथा उसके फौत होने पर विरासतन रेस्पोडेंटस के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई है। पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटित भूमि अकेले आवंटित व्यक्ति की मानी जावेगी उसके परिवार का अन्य कोई सदस्य हक हिस्सा की मांग नही कर सकता है तथा कस्टोडियन भूमि मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के तहत वाद नही ला सकता है क्योंकि पुनर्वास विभाग की भूमि पर धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावशीन नही है इस संबंध मे न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2018 (202) मे स्पष्टतः विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 2018(202), डीएनजे 1996 पेज 263 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. 6 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

Web Copy - Not Official

6. उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध मे अपीलांट के कथनानुसार वादग्रस्त भूमि अपीलांट के पिता फुमणसिंह को अलॉट हुई थी तथा फुमणसिंह के फौत होने के बाद वादग्रस्त भूमि मे अपीलांट व रेस्पो0 सं. 7 का 3/4 हिस्सा है तथा अपीलांटस का 3/4 हिस्सा पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है एवं मौका काबिज भी है परन्तु रेस्पो0 के पिता संतासिंह ने पर्चा खतौनी मे फर्जकारी प्रविष्टि करवाकर वादग्रस्त भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली। जबकि रेस्पो0 का कथन है कि वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 के पिता संतासिंह को अलॉट हुई थी तथा संतासिंह की मृत्यु के बाद विरासतन रेस्पो0 सं. 1 ता 5 के नाम दर्ज हुई है एवं वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 ता 5 काबिज है। इस प्रकार यह तथ्य स्पष्टतः साबित है कि वादग्रस्त भूमि कस्टोयिन आराजी है तथा कस्टोडियन भूमि के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के तहत वाद नही लाया जा सकता है। कस्टोडियन भूमि के संबंध मे राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06.10.2009 को परिपत्र जारी किया गया है तथा परिपत्र के अनुसार पुनर्वास विभाग की भूमि के संबंध मे कोई नया प्रकरण दर्ज नही किया जावेगा तथा ना ही कोई नया दावा स्वीकार किया जावेगा। हस्तगत प्रकरण मे अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा प्रस्तुत कर इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया गया जिसमे बिना किसी औचित्य एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नही होने के कारण अपील अपीलांट खारिज होने योग्य है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2017 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official